Majlis
Legal Centre for Women

‘उम्मीद’

ये परियोजना उन महिलाओं के साहस को नवाजती है जो हिंसा का सामना कर अपनी हिम्मत बनाये रखती है. इस माध्यम से हम औरों को हिंसा और अत्याचार से लढने की प्रेरणा देने का प्रयास करते है.

नैतिक कर्तव्य का शोषण...

पिता के खिलाफ १२ साल की बच्ची का संघर्ष

बाल कल्याण समिति ने जब मेघा का परिचय मज्लीस के राहत कक्ष से कराया तब वह हमे बस एक आम १२ वर्ष की लड़की दिखाई दी. पर गौर करने पर उसकी आँखों में जो डर दिखा वो शायद ही किसी बच्ची की आँखों में दिखा हो. मेघा सहमी हुई थी, उसके सौतेले पिता का ढाया हुआ कहर साफ़ दिखाई दे रहा था. अपने ही घर की चार दीवारे उसे परायी लगने लगी.

मेघा एक बड़ी होनहार और बुद्धिमान बच्ची है. वह दो साल पहेले तक अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ त्रोम्बे की बस्ती में रह रही थी. एक दिन संध्या के समय उसके सौतेले पिता ने उसका रेप किया. जब मेघा ने माँ को बताना चाहा तो उसके पिता ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया और ये आश्वासन दिया की वो उसके साथ आइन्दा कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा.

दुसरे दिन, जब मेघा की माँ काम पर निकल गई तब उसके सौतेले पिता ने दोबारा उसका शोषण किया. दर्द से बिलखती बच्ची चिल्ला रही थी, तभी उसकी चीख उसकी ७० वर्ष की पड़ोसन, रजनी, ने सुन ली. अपने पत्रे के दरवाजे में हुए छेद से रजनी ने ये सारा वाख्या अपनी आँखों से देखा. तुरंत रजनी ने आस पड़ोस के लोगों को सतर्क करना शुरू कर दिया और वे सारे शोर मचाने लगे. हंगामा सुनकर पिता ने बच्ची को छोड़ दिया.

घबराई हुई मेघा को आस पास के लोगों ने शांत किय और दिलासा दिलाया के वो अकेली नहीं है. पूरी घटना सुनकर रजनी ने ठान लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी. उसने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और पुलिस ने मेघा के सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया. नाबालिक मेघा को बाल कल्याण समिति से मिलवाया गया और यहाँ उसकी पहचान मज्लीस से हुई. केस दर्ज होने के बाद मेघा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे आश्रय ग्रुह भेजा गया. रजनी के ठोस वाक्यांश की वजह से मेघा के आरोपी की दोषसिद्धि की सम्भावना बढ़ गयी.

थोड़े दिनों बाद जब मज्लीस की प्रतिनधि ने मेघा से मिलने की कोशिश की तब पता चला के मेघा की माँ उसे आश्रय ग्रुह से ले जा चुकी थी. इतना ही नहीं, उसकी माँ ने अपने घर का पता भी गलत लिखवाया था. इस बात का संदेह होते ही, हमने पुलिस पर मेघा को ढूँढने का दबाव डालना शुरू कर दिया. जल्द ही मेघा को ढूंडा गया और बाल कल्याण समिति में लाया गया. उसके बाद मेघा को अशाष्कीय आश्रय ग्रुह में भेज दिया गया.

मेघा अब १४ बरस की हो चुकी है. उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और उनके साथ पिकनिक पर जाना बहुत पसंद है. तमिल मध्यम से आई मेघा अब मराठी मध्यम में पढने लगी है. उसकी देखभाल करनेवाले उसकी बुद्धिमत्ता और स्फूर्ति से अस्चर्यचकित है.

मज्लीस की प्रतिनिधि आज भी मेघा के साथ है. उसे जीने का प्रोत्साहन देकर, हमने उसका इस कठिन वक़्त में पूरा साथ दिया. काफी मुलाकातों के पश्चात मेघा हमसे काफी घुलमिल गई और अपनी सपनो और इच्छाओ को हमसे बांटने लगी. जबकि वो काफी खुश है, वो अपने घर वापस जाने की चाहत रखती है. हमने उसे विश्वास दिलाया के ये जल्द होगा.

इस केस की जीत का श्रय जाता है बाल कल्याण समिति को जिन्होंने वक्त रहेते दखल देकर मेघा की मदद की; मज्लीस को, जो हर कदम मेघा के साथ उसकी ताकद बनकर खड़ा रहा; रजनी को, जिसने कम्प्लेंट दर्ज कराते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक का कर्त्तव्य निभाया, और अधिकतर, मेघा को, जिसने इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किलों से झुजते हुए अपनी मासूमियत और अपने धैर्य को बनाये रखा.